

राजस्थान सरकार
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(3)/प्राध्यापक/2021/

जयपुर, दिनांक:

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित प्राध्यापक (संस्कृत शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक एफ.6 ए(02) परीक्षा 'क' / प्राध्यापक(संस्कृत शिक्षा)/अंग्रेजी/RPSC/2022-23/935 दिनांक 20.10.2023 द्वारा प्राप्त अभिस्तावना के क्रम में राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम 2015 के नियम 6 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्राध्यापक-अंग्रेजी) के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है-

- उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार 31,100/- (L-12) अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक मान0 उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अधीन होगा। पहले ही राज्य सरकार की नियमित सेवा में कार्यरत एवं चयनित अभ्यर्थियों का वेतन राजस्थान सेवा नियम 24 के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुज्ञात किया जायेगा।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
- यह नियुक्ति राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अधीन है।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में आरजीएचएस एवं सामान्य प्रावधानी निधि की कटौती होगी परन्तु राज्य बीमा की कटौती नहीं होगी।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में इन्हें कलेंडर वर्ष में केवल 15 दिन का आकरिमक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9) एफ.डी.(रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
- दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण राजस्थान सेवा नियम 26 के अनुसार प्राध्यापक की पे-मेट्रिक्स लेवल-12 में किया जायेगा।

प्राध्यापक-अंग्रेजी

S. No.	MERIT NO	PHOTO	NAME	Father's Name	G	DOB	Category	Sel. Categor	Spe. Cate.	STATUS	Home Dist.	Name of School	P.S.	Dist.
1	1		MANSUKH LAL	RAMESHWAR LAL	M	23-Sep-93	BC	GENM			SRI GANGANAGAR	रा.वरि.उपा.सं.वि., गनौड़ा,	घाटोल	बांसवाड़ा
2	2		UTTAM TIWARI	HANUMAN PRASAD TIWARI	M	22-Aug-94	BC	GENM			NAGAR	रा.वरि.उपा.सं.वि., सैदपुरा,	उच्चैन	भरतपुर

Signature valid

Digitally signed by Suresh Kumar

Ola

Designation : Commissioner

Date: 2024.02.02 17:23:13 IST

Reason: Approved

3	4	 	MANISH SHARMA	RAMRAJ SHARMA	M	11-Jul-96	GE,EWS	GENM			NAGAUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., बौली,	बौली	सवाईमाधोपुर
4	6	 	SONAM KANWAR	VIJENDRA SINGH	F	05-Jul-97	GE,WE,EWS	GENM	एकल		KARAULI	रा.वरि.उपा.सं.वि., श्रीरामपुरा,	लालसोट	दौसा
5	7	 	TAPESHA SHARMA	ANIL SHARMA	M	05-Jan-96	GE	GENM			SIKAR	रा.वरि.उपा.सं.वि., इन्द्रोली,	कामां	डीग
6	8	 	NEHA CHOUDHARY	SURAJ SINGH DIDAL	F	21-Feb-96	BC,WE	GENF	एकल		JAIPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., कोटकासिम,	कोटकासिम	खैरथल तिजारा
7	9	 	SUNIL	DURGA RAM	M	09-Jan-98	BC	OBCM			PALI	रा.वरि.उपा.सं.वि., बसेडी,	बसेडी	धौलपुर

RajKaj Ref
5495875

Signature valid

Digitally signed by Surajsh Kumar

Ola

Designation : Commissioner

Date: 2024.02.02 17:23:13 IST

Reason: Approved

8	12	 	ASHOK KUMAR KUMAWAT	NANU RAM KUMAWAT	M	20-Nov-92	BC	OBCM		JAIPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., मोतीपुरा,	बकानी	झालावाड
9	13	 	DEEPAK KUMAR VERMA	HEERA LAL VERMA	M	11-May-98	SC	SCM		JAIPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., खण्डेला,	खण्डेला	सीकर
10	16	 	DEVISHANKAR GURJAR	RADHESHYAM GURJAR	M	28-Jan-96	MB	MBCM		SAWAIMADHOPU R	रा.वरि.उपा.सं.वि., तारानगर,	तारानगर	चुरू
11	17	 	LALIT JALTHANIYA	RAMLAL JALTHANIYA	M	10-Jun-98	SC	SCM		JAIPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., तीतरिया,	चाकसू	जयपुर ग्रामीण
12	24	 	PAVITRA BHATI	RANJEET SINGH BHATI	F	16-Feb-88	GE,WE,LD	GENF	LD	PALI	रा.वरि.उपा.सं.वि., काठाड़ी,	सिवाना	बालोतरा

RajKaj Ref
5495879

Signature valid

Digitally signed by Surash Kumar

Ola

Designation : Commissioner

Date: 2024.02.02 17:23:13 IST

Reason: Approved

13. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
 14. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।
 15. राज्य के बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अधधीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताएं वैध व मान्य नहीं पाये जाने की स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
 16. अभ्यर्थी से प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित करने वाले संस्थान की परीक्षा उत्तीर्ण सत्र की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यारम्भ करावे।
 17. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
- विशेष-** विभाग द्वारा अभ्यर्थियों को आयोग के निर्देशानुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। उक्त सभी अभ्यर्थियों द्वारा अनुपस्थित रह कर दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराया। अतः ये अभ्यर्थी कार्यारम्भ से पूर्व निदेशालय संस्कृत शिक्षा, जयपुर में उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन कराने के पश्चात ही पदस्थापन स्थान पर कार्यारम्भ हेतु उपस्थित होंगे। इन अभ्यर्थियों को कार्यारम्भ कराने से पूर्व इनके संबंध में निदेशालय संस्कृत शिक्षा द्वारा जारी दस्तावेज सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही कार्यारम्भ करवायें।
- इन्हें उक्त नियुक्ति उपरान्त पदस्थापित स्थान पर **दिनांक- 13.02.2024** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी के संबंध में यह नियुक्ति/पदस्थापन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। संबंधित संस्थाप्रधान अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना तत्काल अथवा कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की सूचना निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात तत्काल कार्यालय की ई-मेल sans.lect.2022@gmail.com पर प्रेषित कर उसकी प्रति डाक द्वारा भिजवाने की व्यवस्था करें।

(सुरेश कुमार ओला)

आयुक्त

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

जयपुर, दिनांक:

क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(3)/प्राध्यापक/2021/.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं-

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान् सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. श्रीमान् शासन उप सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जिला
6. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी जयपुर/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर (चूरु)/कोटा/उदयपुर/भरतपुर।
7. संबंधित प्रधानाचार्य, रावरिउपासंवि को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थी के कार्यारम्भ करते ही इसका प्रमाण पत्र निदेशालय को भिजवायें।
8. संबंधित अभ्यर्थी।
9. संरक्षण पंजिका।

RajKaj Ref
5495875

Signature valid

Digitally signed by Surish Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:23:13 IST
Reason: Approvedआयुक्त
संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर